03-12-20

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उप०। पत्रावली पर अभी तक प्रतिवादी उपस्थित नहीं आए हैं। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रा० पत्र 10ग2 दिनांक 31.10.2020 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया था कि पत्रावली के स्थान-तरित हो जाने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र कायम मुकाम 11क, पत्रावली में सम्मलित नहीं हो सका था जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 30.10.2020 ता० पेशी पर हुई। अंत: प्रा० पत्र 10ग2, प्रा० पत्र कायम मुकाम 11क, व शपथ पत्र 12ग2 को पत्रावली में सम्मलित किये जाने का आदेश किया गया था। पत्रावली प्रा० पत्र 11क, कायम मुकाम निस्तारण पर नियत थी जिसपे आज वादी अधिवक्ता ने बल दिया। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र 11क, इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वादी सं. 1 की मृत्यु दिनांक 02.07.2020 के उपरांत उनके जायज व विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु वांछित संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रा० पत्र 11क, के साथ वादी सं 1 का मृत्यु प्रमाण पत्र एंव ग्राम पंचायत परिवार सूची की प्रतिलिपी संलग्न है।

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

मुकदमा नं. 708/19

[illegible] — [illegible]

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जरिए वकालतनामा 13 गा₂ पत्रावली पर उपस्थित आ चुके हैं। उनके द्वारा कायम मुकाम प्रा० पत्र मय शपथ पत्र परिसीमा के अंदर प्रस्तुत किया गया है। वादी सं 1 के विधिक वारिसानों को वादी की मृत्यु उपरांत वाद चलाने का अधिकार बचा हुआ है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्थापन पत्र स्वीकार करे जाने योग्य है।

आदेश

प्रा० पत्र 11क, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी वांछित संशोधन अंदर सप्ताह करें। वादी पुनः उभयप्रकार से पैरवी करे। पत्रावली वास्ते WS दिनांक 04.01.2021 को पेश हो।

Scanned with CamScanner